राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2542/2025

अजीत चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव (प्रशासन), पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर (राज.)।
3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, चंद्र उद्यान के पास, आगरा रोड़, जयपुर।
4. नोडल अधिकारी, उप केन्द्र जयसिंहपुरा, कोटपूतली, कोटपूतली बहरोड़ (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.04.2025

आदेश की दिनांक : 01.05.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर उप केन्द्र, जयसिंहपुरा, कोटपूतली बहरोड़ में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 06.08.2017 के द्वारा पशुधन सहायक के पद पर हुई थी और उसे जयसिंहपुरा, कोटपूतली पदस्थापित किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से गोगरा, पाली स्थानांतरित किया गया। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का पशुओं की गिनती करने का कार्य है और इस प्रकार प्रत्यर्थी

विभाग अपीलार्थी का स्थानांतरण नहीं कर सकता है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया और कथन किया कि वर्तमान पदस्थापन स्थान से 500 कि.मी. दूर स्थानांतरण किया गया है। जबकि अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानांतरण नीति एवं नियम विरूद्ध किया गया है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)